



बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सूचना

पत्रांक-04/STA-(विविध)-01/2024 परि0-

पटना, दिनांक-

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा-3(c-a) के तहत संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना, पूर्णियाँ, छपरा एवं मुजफ्फरपुर द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु की गयी अनुशंसा निम्नलिखित मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु प्रारूप का प्रकाशन परिवहन विभाग के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/transport> पर किया गया है :-

मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत बसों के परिचालन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत अधिसूचित होने वाले अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :-					
क्र० सं०	मार्ग संख्या	अप ट्रीप मार्ग का नाम	अप ट्रीप मार्ग का भाया	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1		धनरुआ से बैरिया बस पड़ाव पटना	घोषी, ईसलामपुर, एकंगरसराय, हिलसा, फतुहां	106	आर०टी०ए०, पटना
2		किशनगंज से पूर्णियां	दालकोला, डंगरट्टा, बायसी, डगरुआ, बेलगाछी, बरसौनी, जीरोमाईल, मरंगा मोड़	140	आर०टी०ए०, पूर्णियां
3		जगतौली से पटना	लामीचौर, हुस्सेपुर, मीरगंज, सिवान, छपरा, हाजीपुर	198	आर०टी०ए०, छपरा
4		बेतिया से गोपालगंज धावे मंदिर	बगही चौक, लौतन, शिवराजपुर बाजार, मंगलपुर गुदरिया, बिशुनपुर, यादोपुर, गोपालगंज	60	आर०टी०ए०, मुजफ्फरपुर

यदि इन मार्गों के संबंध में किसी व्यक्ति/वाहन स्वामी को कोई सुझाव/आपत्ति हो तो वे दिनांक-10.07.2026 तक परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना में लिखित रूप में समर्पित/उपलब्ध करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझाव/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ह०/-

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि :- आई०टी०, मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।



बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सूचना

पत्रांक-04/STA-(विविध)-01/2024 परि0-

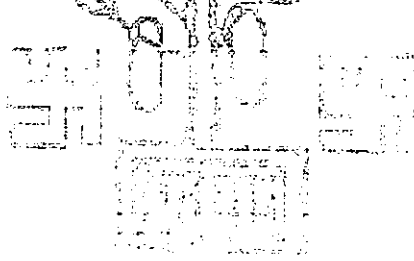
5214

पटना, दिनांक- 24.06.26

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा-3(c-a) के तहत संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना, पूर्णियाँ, छपरा एवं मुजफ्फरपुर द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु की गयी अनुशंसा निम्नलिखित मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु प्रारूप का प्रकाशन परिवहन विभाग के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/transport> पर किया गया है :-

मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत बसों के परिचालन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत अधिसूचित होने वाले अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :-					
क्र० सं०	मार्ग संख्या	अप ट्रीप मार्ग का नाम	अप ट्रीप मार्ग का भाया	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1		धनरुआ से बैरिया बस पड़ाव पटना	घोषी, ईसलामपुर, एकंगरसराय, हिलसा, फतुहा	106	आर०टी०ए०, पटना
2		किशनगंज से पूर्णियाँ	दालकोला, डंगरदटा, बायसी, डगरुआ, बेलगाछी, बरसीनी, जीरोमाईल, मरंगा मोड़	140	आर०टी०ए०, पूर्णियाँ
3		जगतौली से पटना	लामीचौर, हुस्सेपुर, मीरगंज, सिवान, छपरा, हाजीपुर	198	आर०टी०ए०, छपरा
4		बेतिया से गोपालगंज थावे मंदिर	बगही चौक, नौतन, शिवराजपुर बाजार, मंगलपुर गुदरिया, बिशुनपुर, यादोपुर, गोपालगंज	60	आर०टी०ए०, मुजफ्फरपुर

यदि इन मार्गों के संबंध में किसी व्यक्ति/वाहन स्वामी को कोई सुझाव/आपत्ति हो तो वे दिनांक- 10.07.2026 तक परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना में लिखित रूप में समर्पित/उपलब्ध करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझाव/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।



सचिव, 24.6.26

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।